सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा
जिला विधि प्रशाखा
अधिग्रहण वाद सं0 22/11
सरकार (मार्फत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर) बनाम शेर महम्मद एवं किशुन चंद
आदेश

27.1.15

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 5.12.13 के द्वारा उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परिसीलनोपरान्त आदेश पारित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.2.12 तथा आपराधिक न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.9.13 के आलोक में जप्त खाद्यान्न एवं जप्त पिकअप भान को आरोप मुक्त किए जाने के पश्चात् उन पर अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त कर दी गयी।

आवेदक किशुन चंद पिता स्व0 गणेश प्रसाद , ग्राम–रसूलपुर चट्टी, थाना–रसूलपुर के द्वारा दिनांक 4.7.14 को आवेदन देकर अनुरोध किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि विमुक्त करने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाए।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को निदेशित किया जाता है कि उनके पत्रांक 5/गु0/आ0 दिनांक 15.5.12 में अंकित जप्त खाद्यान्न की विक्रय राशि उचित पहचान पर विहित प्रकिया के तहत जप्त खाद्यान्न के दावेदार को हस्तगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 58 दिनांक 29/01/2015

प्रतिलिपि- SDO, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
29/1